न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

अपील सं. 20/2020

बालकृष्ण पुत्र जगदीशचन्द्र जाति अग्रवाल निवासी 3—जे, 33 जवाहरनगर श्रीगंगानगर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलांट

वनाम

1. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़।

असल रेस्पोडेंट

2. बलराम पुत्र जगदीशचन्द्र जाति अग्रवाल निवासी 3—एच 22 जवाहरनगर श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. नंदलाल पुत्र जगदीशचन्द्र जाति अग्रवाल निवासी 1 जी. 12 जवाहरनगर श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. रूकमणीदेवी पुत्री जगदीशचन्द्र पत्नी श्री आत्माराम जाति अग्रवाल निवासी मैन बाजार, भादरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़।
5. कृष्णा देवी पुत्री जगदीशचन्द्र पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार जाति अग्रवाल निवासी मैन बाजार, बठिण्डा, तहसील व जिला बठिण्डा (पंजाब)।
6. सुशीला देवी पुत्री जगदीशचन्द्र पत्नी श्री अमरनाथ जाति अग्रवाल निवासी पंजाब एण्ड सिंध बैंक वाली गली कोटकपुरा, तहसील कोटकपुरा जिला फरीदकोट (पंजाब)।
7. ऊषादेवी पुत्री जगदीशचन्द्र पत्नी श्री प्रवीण कुमार जाति अग्रवाल निवासी न्यू लाईट सिनेमा के पास, रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
8. पुष्पादेवी पुत्री जगदीशचन्द्र पत्नी श्री विष्णु कुमार जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नंबर 21. पोस्ट ऑफिस के पास, हनुमानगढ टाउन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध इन्तकाल संख्या 400 दिनांक 25.10.2008 जो तहसीलदार (भू०अ०) टिब्बी द्वारा चक 4 टी.एल. डब्ल्यू तहसील टिब्बी की सावित्रीदेवी की खातेदारी भूमि को आराजीराज दर्ज किया गया, को अपास्त करने व अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने बाबत।

उपस्थितः— 1. श्री अशोक कुमार छोड़ा अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री शिवराजसिंह बराड़ राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0 01
3. श्री जसवीर सिंह सुवेदी अभिभाषक रेस्पो0 02 ता 08

—:निर्णयः—

दिनांकः—10.11.2025

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट की माता श्रीमति सावित्रीदेवी पत्नी श्री जगदीशचन्द्र के नाम से तहसील टिब्बी के चक 4 टी एल डब्ल्यू के पत्थर नंबर 233/288 (26) किला नंबर 5/1 से 8, 13 से 19, 22 से 25/1, पत्थर नंबर 234/288 (27) किला नंबर 1, 10, 11, 20, 21 कुल तादादी 4.935 हैक्टेयर कृषि भूमि सैटलमेंट अभिलेख से खातेदारी दर्ज राजस्व अभिलेख थी। उक्त कृषि भूमि श्रीमति सावित्रीदेवी को भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपजिलाधीश हनुमानगढ़ द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 27.05.1969 एवं 03.01.1989 द्वारा खातेदारी आवंटन हुई थी। इस आदेश के आधार पर श्रीमति सावित्रीदेवी के नाम खातेदारी दर्ज थी। उपरोक्त भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि सहित एक वाद न्यायालय अतिरिक्त जिला कलैक्टर (जागीर) हनुमानगढ़ में विचाराधीन रहा लेकिन इस न्यायालय द्वारा उक्त भूमि को जमीदारी एव बिश्वेदारी एबुलेशन एक्ट के दिन राजकीय भूमि घोषित की गई। इस आदेश के विरुद्ध अपील राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

पेश की गई और निर्णीत हुई। राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय के विरूद्ध स्टेट द्वारा द्वितीय अपील राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष अपील संख्या 4095/05 अनवान सरकार बनाम जरनैल सिंह आदि प्रस्तुत की गई जिसका निर्णय दिनांक 31.10.2007 को करते हुए अपील स्वीकार फरमाई गई। इस निर्णय व डिक्री की पालना में दीगर व्यक्तियों से अन्य भूमि सहित इस भूमि का कब्जा दिनांक 13.01.2007 को वहक सरकार लिया गया। कब्जा वहक सरकार लेने के पश्चात तहसीलदार टिब्बी द्वारा कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से इंतकाल संख्या 380 दिनांक 13.11.2007 दर्ज करते हुए अपीलाण्ट की माता सावित्रीदेवी के नाम आराजीराज दर्ज कर दी गई। जरनेल सिंह आदि द्वारा इस निर्णय व डिक्री के विरुद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष नजरसानी/जमीदारी विश्तेदारी/10680/07 हनुमानगढ़ जरनेल सिंह बनाम सरकार प्रस्तुत की जो दिनांक 31.01.2008 को स्वीकार होकर आदेश दिनांक 31.10.2007 को निरस्त कर दिया गया व अपील पुनः नम्बर 1287/06 स्टेट बनाम जरनेल सिंह बाजवा नम्बर पर ले ली गई। इस आदेश की पालना में इंतकाल संख्या 380 दिनांक 13.11.2007 प्रभावहीन हो चुका है जिसका कोई औचित्य नहीं है, इतकाल संख्या 380 को पृथक से अपील में चुनौती दी गई है। इस आदेश के पश्चात इतकाल संख्या 400 दिनांक 25.10.2008 दर्ज किया गया है। माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 हनुमानगढ़ द्वारा रेफरेंस विविध सिविल सख्या 22/2002 (14/02) (124/93) में निर्णय दिनाक 23.04. 2003 एवं माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 हनुमानगढ़ द्वारा सिविल मिसल संख्या 11/03 (42/03) निर्णय दिनांक 23.04.2003 की पालना में इस भूमि का अपीलाण्ट की माता को कब्जा दिया गया क्योंकि पूर्व से ही यह भूमि सावित्रीदेवी के नाम खातेदारी दर्ज चली आ रही थी। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 31.01.2008 पारित करते हुए आदेश दिनांक 31 10.2007 को निरस्त कर दिया गया है। इस कारण आदेश दिनांक 31.10.2007 को पालना में दर्ज हुये इंतकाल सख्या 380 दिनाक 13.11.2007 प्रभावहीन हो चुका है। इस कारण अपीलाधीन इंतकाल संख्या 400 का कोई प्रभाव नहीं है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त इतकाल संख्या 400 दिनांक 25.10.2008 के आधार पर राजस्व अभिलेख में हनुमानगढ़ सावित्रीदेवी के नाम आराजीराज दर्ज होने से अपीलाण्ट की माता सावित्रीदेवी के स्वर्गवास होने के पश्चात विरास्तन इंतकाल दर्ज होने में असुविधा हो रही है व अपीलाण्ट के हितो पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अपीलाण्ट को अपीलाधीन इंतकाल संख्या 400 दिनांक 25.10.2008 का पूर्व में किसी प्रकार से ज्ञान नहीं था। अपीलाण्ट की माता श्रीमति सावित्रीदेवी का स्वर्गवास हो चुका है। अपीलाण्ट दिनांक 04.11.2020 को स्व० श्रीमति सावित्रीदेवी का विरासतन इंतकाल दर्ज करवाने हेतु पटवारी हल्का के पास गया तो अपीलाण्ट को पटवारी हल्का से ज्ञान हुआ कि प्रश्नगत कृषि भूमि अपीलाण्ट की माता सावित्रीदेवी के नाम इंतकाल संख्या 400 के द्वारा गैरखातेदारी दर्ज है तब अपीलाण्ट ने उसी दिवस अपीलाधीन इंतकाल की प्रमाणित प्रतिलिपि पटवारी हल्का से प्राप्त की तब अपीलाण्ट को उक्त इंतकाल में गैरखातेदारी होने का ज्ञान हुआ। तत्पश्चात अपीलाण्ट ने अपीलाधीन इंतकाल के संबंध में अन्य कागजात एकत्रित किये और आज बिना किसी देरी के यह अपील ज्ञान से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। फिर भी अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को माफ करने हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत है। प्रश्नगत कृषि भूमि अपीलाण्ट की माता सावित्रीदेवी के नाम गैरखातेदारी दर्ज चली आ रही है। अपीलाण्ट की माता सावित्रीदेवी का स्वर्गवास हो चुका है जिसके विधिक वारिसन अपीलाण्ट व रेस्पोडेंट संख्या 2 से 8 है जिनका हित अपीलाण्ट के समान है लेकिन रेस्पोडेंट सख्या 2 से 8 आज उपस्थित नहीं होने के कारण उन्हें तरबीबी रेस्पोडेंट के रूप में पक्षकार बनाया गया है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावें तथा अपीलाधीन इंतकाल संख्या 400 दिनांक 25.10.2008 को अपास्त फरमाया जावे।

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट सं0 01 की ओर से राजकीय अभिभाषक तथा तरतीबी रेस्पोडेन्ट सं0 02 ता 08 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस सुनी गयी। अपीलार्थी के अभिभाषक ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावें तथा अपीलाधीन इंतकाल संख्या 400 दिनांक 25.10.2008 को अपास्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किये कि तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी द्वारा जारी इंतकाल संख्या 400 दिनांक 25.10.2008, विधि अनुसार है इसलिए अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें चुनौतीधीन निर्णय व आदेश की जानकारी अपील प्रस्तुत करने से 15 दिवस पूर्व ही होना बताया है। अपीलांट ने विलंब का कारण तथा इसके संबंध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। न्यायहित में अपीलांट का दफा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अन्दर मियाद ग्रहण की जाती है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया और उद्घृत न्यायिक नजीरों पर मनन किया गया:–

1. चक 4 टी एल डब्ल्यू के पत्थर नंबर 233/288 (26) किला नंबर 5/1 से 8, 13 से 19, 22 से 25/1, पत्थर नंबर 234/288 (27) किला नंबर 1, 10, 11, 20, 21 कुल तादादी 4.935 हैक्टेयर कृषि भूमि पर तहसीलदार (भू0अ0) टिब्बी द्वारा जारी इंतकाल सं0 400 दिनांक 25.10.2008 से अपीलांट की माता के नाम गैरखातेदारी दर्ज हुई।
2. प्रश्नगत अपील से अपीलांट ने राजस्व रिकार्ड में उक्त गैरखातेदारी शब्द की जगह खातेदारी शब्द अंकित करवाने का निवेदन किया है। किन्तु खातेदारी अधिकारों की घोषणा का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। उक्त भूमि के संबंध में अपीलांट हकों का निर्धारण/घोषणा करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये। इस न्यायालय को मेरी विनम्र राय में सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन की रोशनी में अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़